



Case No. 67/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/DEV-3394/JH/24/2024-ESDW-RU-IV

श्री अरविंदर सिंह साहनी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL),
3079/3, सादिक नगर,
जेबी टीटो मार्ग,
नई दिल्ली, दिल्ली 110049
Email Id: iocl-cooc@indianoil.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 18/07/2025 को 11:30 A.M बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ :-

- संदर्भ 1 (i) अंचित इण्डेन, दुमका में से मैसर्स कुसुम गैस एजेंसी, दुमका के शेष बचे ग्राहकों को मैसर्स कुसुम गैस एजेंसी, दुमका में वापस कराने के संबंध में - श्री राजेन्द्र कुमार भगत, प्रोपराइटर, कुसुम गैस एजेंसी, दुमका पत्र 1/का अभ्यावेदन (झारखंड)
- (ii) इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का पत्र दिनांक 11.12.2024

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 16/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

① P.S. Ja Haniben Member (Dr. Asha Lakshmi)
② N.C. Uphadhi's

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

